दिनांक 02.07.2015

परिवहन विभाग, प0 बंगाल सरकार के पदाधिकारियों के साथ समय समय पर बैठक आहूत कर कई दौर की वार्ता के उपरांत दोनों राज्यों के बीच यात्री परिवहन सुविधा की बढती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों बिहार एवं प0 बंगाल के मध्य नया पारस्परिक परिवहन करार/समझौता किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी । तदनुसार मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा–88 (5) के अन्तर्गत उक्त करार का प्रारूप परिवहन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0–04/एस0टी0ए0पी03–71/2013–2966 दिनांक 26 मई 2014 द्वारा बिहार गजट के असाधारण अंक में दिनांक 26.05.2014 को प्रकाशित किया गया । साथ ही मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 88(5) के प्रावधानो के आलोक में समाचार पत्रों में दिनांक 06.06.2014 को सूचना प्रकाशित करते हुए तथा परिवहन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट (www.transport.bih.nic.in) पर उक्त करार प्रारूप अधिसूचना एवं सूचना की प्रति अपलोड करते हुए आम वाहन स्वामियों से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित की गयी थी ।

प्रकाशित सूचना में यह उल्लेख किया गया था कि दिनांक 26.06.2014 तक उक्त बिहार गजट में प्रकाशित करार प्रारूप अधिसूचना सं0–2966 दिनाक 26.05.2014 के विरूद्ध आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी एवं उन प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई दिनांक 27.06.2014 को की जायेगी । तद्नुसार प्राप्त सभी आपत्तियों की सुनवाई तत्कालीन राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 27.06.2014 को की गयी थी, परन्तु तत्कालीन राज्य परिवहन आयुक्त के स्थानान्तरण के फलस्परूप आदेश निर्गत नही किया जा सका था । उसी प्रकार पुनः एक बार दिनांक 16.04.2015 को तत्कालीन राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा आपत्तियों की सुनवाई की गयी, परन्तु उनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप एक बार पुनः आदेश निर्गत नहीं किया जा सका था । यह भी उल्लेखनीय है कि तदोपरांत सुनवाई हेतु निर्धारित कुछ तिथियाँ आपत्तिकर्ता एवं उनके अधिवक्ता के अनुरोध पर स्थगित कर दी गयी थी ।

अंततः परिवहन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट पर एक सूचना अपलोड की गयी कि दिनांक 02.07.2015 को अपराह्न 2.30 बजे से उक्त करार प्रारूप अधिसूचना के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई की जाएगी । तदनुसार उन आपत्ति आवेदनों की सुनवाई दिनांक 02.07.2015 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गयी ।

प्राप्त आपत्तियों से संबंधित कुछ आवेदन करार प्रारूप अधिसूचना के निर्गमन एवं बिहार गजट में उसके प्रकाशन की तिथि दिनांक 26.05.2015 के पूर्व ही प्राप्त हुए थे, जिनकी विवरणी निम्नवत् है:–

1. श्री मृत्यु शरण ठाकुर–डी0–3052 दिनांक 24.04.2014
2. श्री अशोक चौधरी - डी0–3066 दिनांक 25.04.2014

– उपरोक्त आवेदनों को मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 88 (5) के अन्तर्गत करार प्रारूप अधिसूचना एंव आपत्ति आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त होने के कारण विचार करने योग्य नहीं पाया गया । चूंकि उक्त आवेदन करार प्रारूप अधिसूचना के तथ्यों की जानकारी प्राप्त किये बगैर ही समर्पित किये गये थे । इस प्रकार उन आवेदनों पर विचार किये बगैर उन्हें निष्पादित किया गया ।

निम्नलिखित आपत्ति/सुझाव संबंधी आवेदन करार प्रारूप अधिसूचना एंव आपत्ति आमंत्रण की सूचना के बाद प्राप्त हुए अतएव इनकी सुनवाई करते हुए इनपर विचार किया गया:–

1. नार्थ बंगाल यूथ को–आपरेटिव ट्रॉन्सपोर्ट सोसाइटी लि0, सिलीगुडी–डी0–4751 दिनांक 23.06.2014
2. नक्सलवाड़ी हिमालयन को–आपरेटिव ट्रॉन्सपोर्ट सोसाइटी लि0 सिलीगुड़ी–डी0–4752 दिनांक 23.06.2014
3. श्री अजीत मित्रुका - डी0 -4450 दिनांक 23.06.2014
4. श्री अजय कृष्ण माधव – डी0–4732 दिनांक 24.06.2014
5. श्री सत्येन शरत – डी0–4731 दिनांक 24.06.2014
6. श्री लीलानंद सिंह – डी0–4730 दिनांक 24.06.2014
7. श्री कृष्णकांत प्रसाद सिंह – डी0–4729 दिनांक 24.06.2014
8. श्री जयशंकर प्रसाद सिंह – डी0–4727 दिनांक 24.06.2014
9. श्री विजय कुमार झा – डी0–4470 दिनांक 23.06.2014
10. श्री मणि भूषण कुमार – डी0–4468 दिनांक 23.06.2014
11. श्री राम मनोहर पाण्डेय – डी0–4466 दिनांक 23.06.2014
12. श्री सोहन सिंह – डी0–4245 दिनांक 18.06.2014
13. श्री चन्द्रभूषण शर्मा – डी0–4465 दिनांक 23.06.2014
14. बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन,– डी0–4728 दिनांक 24.06.2014
15. श्री इन्द्रजीत सिंह – डी0–4817 दिनांक 26.06.2014
16. श्री हरपाल सिंह – डी0–4819 दिनांक 26.06.2014
17. श्री प्रीतिपाल सिंह – डी0–4818 दिनांक 26.06.2014
18. नरेश मुर्म – डी0 –4792 दिनांक 25.06.2014
19. श्री अख्तर आलम – डी0–4793 दिनांक 25.06.2014
20. श्री विजय कुमार जायसवाल– डी0–4788 दिनांक 25.06.2014
21. श्री राहुल सामंत – डी0–4790 दिनांक 25.06.2014
22. श्री अरशद परवेज – डी0–4791 दिनांक 25.06.2014

23. श्री दीनानाथ जायसवाल एवं श्री सुभाष चन्द्र– डी0–4798 दिनांक 25.06.2014
24. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह – डी0–4822 दिनांक 26.06.2014
25. श्री हिमांशु शेखर सिंह, – डी0 4825 दिनांक 26.06.2014
26. श्री नवीन शंकर ठाकुर, – डी0–4824 दिनांक 26.06.2014
27. श्री कुमार पल्लव शिव शंकरण – डी0–6576 दिनांक 22.08.2014
28. श्री बालानंद झा – डी0–2948 दिनांक 06.05.2015
29. श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, बिहार मो0 ट्रांसपोर्ट फडरेशन, डी–249 दिनांक 17.04.2015
30. श्री धारानाथ झा,–डी0–4175–दिनांक 26.06.2015

उपरोक्त क्रमांक–(1) से (30) तक के अभ्यावेदनो मे आवेदकों द्वारा किये गये आपत्तियों के अधिकांश बिन्दु लगभग समरूप है, जिसकी सुनवाई एक साथ की गयी । विद्वान अधिवक्ता श्री एस0के0 सहाय, श्री रणधीर सिंह, श्री एस0के0 गुप्ता, श्री अजय कुमार झा एवं श्री तिवारी अधिकांश आवेदकों के प्रतिनिधि के रूप मे सुनवाई के दौरान उपस्थित थे । अधिवक्ताओ द्वारा सुनवाई के दौरान उठाये गये आपत्ति के बिन्दुओ सहित आपत्ति संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन में उल्लिखित निम्नलिखित बिन्दुओं पर सुनवाई की गयी एव निष्पादित किये गये :–

1. पूर्व में वर्ष 1988 में बिहार एवं प0 बंगाल राज्यों के बीच हुए रामझौता संबंधी अधिसूचना एवं वर्ष 2010 में दोनों राज्यों की आपसी सहमति से हुए अस्थायी समझौते द्वारा निर्धारित कोटा के अनुरूप रिक्ति के विरूद्ध शत प्रतिशत परमिट निर्गत नहीं होने के बावजूद नये प्रस्तावित समझौता एवं अधिक कोटा के निर्धारण के औचित्य पर आपत्ति प्रकट की गयी ।
   – यह आपत्ति निराधार है, चूंकि पूर्व के समझौता के द्वारा परमिट के निर्धारित कोटा के विरूद्व रिक्ति की उपलब्धता प्रस्तावित नये समझौता को लागू करन मे बाधक के रूप में मान्य नहीं हो सकता है । इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में बिहार एवं प0 बंगाल के मध्य बहुत से अन्तर्राज्यीय मार्गो पर परमिट की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों को रिक्ति के अभाव में परिवहन प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया गया है। इस प्रकार यह आपत्ति स्वीकार करने योग्य नही है ।
2. आपत्ति का दुसरा बिन्दु यह उठाया गया कि समझौता अधिसूचना मे शामिल बहुत से मार्ग के अधिकांश भाग एक दूसरे से आच्छादित हैं ।
   – इस आपत्ति का आधार स्वीकार करने योग्य नहीं है, चूंकि प्रस्तावित समझौता प्रारूप में कोई नया मार्ग शामिल नही किया गया है। प्रस्तावित समझौते में शामिल सभी मार्ग पूर्व में वर्ष 1988 में बिहार एवं प0 बंगाल राज्यों के बीच हुए समझौता संबंधी अधिसूचना एवं वर्ष 2010 में दोनों राज्यों की आपसी सहमति से हुए अस्थायी समझौते में शामिल थे । अतएव यह आपत्ति स्वीकार नही किया जाता है।

3. आपत्ति का तीसरा बिन्दु यह है कि सिलीगुड़ी बस टर्मिनल पर प्रस्तावित समझौता में शामिल मार्गो पर निर्धारित कोटा के अनुरूप यदि परमिट का निर्गमन किया जाएगा तो घनी आबादी एवं अत्यधिक ट्रैफिक दवाब वाले सिलीगुड़ी बस टर्मिनल पर बसों के पड़ाव की समस्या कठिन होगी । अतएव बिना ट्रैफिक सर्वे के नये मार्गों पर परमिट निर्गत करने हेतु नया समझौता करना नियमानुकूल नही है ।
– यह आपत्ति स्वीकार करने योग्य नही है, क्योंकि परिचालित होने वाली सभी यात्री बसें एक ही समय में एवं एक ही साथ सिलीगुड़ी बस पडाव पर नही उहरेंगी । तद्नुसार मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 70, 71 एवं 72 के प्रावधानों के आलोक में इस आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है ।

4. आपत्ति का चौथा बिन्दु यह है कि करार प्रारूप में परमिट के निर्धारित कोटा में वृद्धि के फलस्वरूप बसों की संख्या बढने से परिचालन में समय सारणी के टकराव से नकारात्मक प्रतिस्पर्धा होने की संभावना होगी ।
– मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 70, 71 एवं 72 के प्रावधानों के आलोक में इस आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है ।

5. आपत्ति का एक बिन्दु यह है कि करार प्रारूप की कंडिका–1(ट) मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के विरोधाभासी है ।
– यह आपत्ति स्वीकार करने योग्य नहीं है, चूंकि करार प्रारूप की कडिका–1(ट) परमिट के प्रत्यर्पण से संबंधित है, जहाँ परमिटधारी बस का परिचालन जारी रखने की इच्छा नहीं रखता हो। जबकि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 परमिट के रद्दीकरण/निलंबन से संबंधित है ।

6. आपत्ति का एक बिन्दु यह उठाया गया है कि समझौता में सम्मिलित अधिकांश मार्ग झारखंड राज्य होकर गुजरते हैं जबकि झारखंड राज्य को भी उक्त प्रस्तावित समझौते में शामिल कर त्रिपक्षीय समझौते नहीं किया गया है।
– इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग, प0 बंगाल सरकार के पत्रांक 151–एस0टी0डी0/2014 दिनांक 27.10.2014 द्वारा परिवहन विभाग, बिहार, सरकार को सूचित किया गया है कि परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक 688 दिनांक 29.09.2014 द्वारा प्रस्तावित करार प्रारूप में इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जा चुकी है कि झारखंड राज्य के अन्तर्गत 16 कि0मी0 से अधिक दूरी वाले मार्ग पर निर्गत होने वाले परमिट का प्रतिहस्ताक्षर झारखंड राज्य से भी कराना आवश्यक होगा । इस शर्त का उल्लेख प्रस्तावित करार प्रारूप की कंडिका–1(ढ) में भी किया गया है । इस प्रकार यह आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाता है ।

7. प्राप्त आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88(5) एवं 88(6) के प्रावधानों के आलोक में वर्ष 1994–95 में बिहार एवं प0 बंगाल राज्यों के बीच प्रस्तावित पारस्परिक परिवहन करार को अंतिम रूप प्रदान नही किये जाने के संबंध में भी आपत्ति प्रकट की गयी है।

– यह आपत्ति स्वीकार करने योग्य नही है क्योंकि करार प्रारूप में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अंतिम रूप से प्रकाशित होने के उपरांत यह समझौता पूर्व में किये गये सभी समझौते पर अधिप्रभावी होगा । साथ ही प्रस्तावित करार प्रारूप में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(5) एवं 88(6) के किसी प्रावधान का उल्लंघन नही किया गया है ।

8. आपत्ति का एक बिन्दु यह है कि प्रस्तावित करार प्रारूप के संलग्न सूची के मार्ग संख्या 19 में शामिल मार्ग खेसर से कोलकाता, जो वर्ष 2010 में पत्रांक 1577 दिनांक 31.03.2010 में भी उक्त मार्ग खेसर से कोलकाता के अनुरूप है, के बदले बिहार गजट में प्रकाशित रामझौता अधिसूचना के मार्ग संख्या 19 में फेरार से कोलकाता टंकण भूलवश अंकित हो गया है । जबकि उक्त मार्ग पश्चिम बंगाल में प्रकाशित कोलकाता गजट में खेसर से कोलकाता अंकित है । साथ ही उक्त मार्ग का भाया भी त्रुटीपूर्ण है, जो भाया– बांका, कटोरिया, देवघर, दुमका, सिउड़ी, वर्धमान अथवा भाया–बांका, ढाकामोड, बौसी, हंसडीहा, दुमका, सिउड़ी, वर्धमान होना चाहिए ।
– यह आपत्ति स्वीकार करने योग्य है । प्रस्तावित करार प्रारूप को अंतिम रूप से प्रकाशित करने के पूर्व मार्ग संख्या–19 को खेसर से कोलकाता के रूप में संशोधित कर दिया जायेगा । साथ ही उक्त मार्ग के भाया के निर्धारण के संबंध में निर्णय पश्चिम बंगाल सरकार के प्राधिकार की सहमति से लिया जायेगा ।

9. आपत्ति का एक बिन्दु यह उठाया गया है कि प्रस्तावित करार प्रारूप की कंडिका–1(झ) में मार्ग की दूरी 200 कि0मी0 या अधिक होने पर एक परमिट पर दो वाहनों के परिचालन की अनुमति दिये जाने का उल्लेख इस शर्त्त पर किया गया है कि परमिटधारी को वैसे एक परमिट के लिए परमिट निर्गत करने वाले राज्य में लागू दर के अनुरूप परमिट शुल्क की दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा । उक्त शर्त्त अधिनियम की धारा–2 (31) के विरोधाभासी है । इस संबंध में यह आपत्ति भी उठायी गयी है कि दो वाहनों के पक्ष में एक परमिट निर्गमन की सीमा 200 कि0मी0 के बदले 250 कि0मी0 होना चाहिए ।
– इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के प्राधिकार की सहमति के उपरान्त अंतिम रूप से करार के प्रकाशन के पूर्व निर्णय लिया जायेगा ।

10. आपत्ति का एक बिन्दु यह उठाया गया है कि करार प्रारूप की अधिसूचना की अनुसूची में शामिल मार्गों यथा मार्ग संख्या 39, 40, 42, 43, 44 एवं 45 को प्रस्तावित समझौता में शामिल नहीं किया जाना चाहिए एवं इन मार्गों पर मात्र एस.टी.ए., बिहार द्वारा ही परमिट निर्गमन किया जाना चाहिए । क्योंकि इन मार्गों के पश्चिम बंगाल में पड़ने वाले मार्गांश की दूरी 16 कि0मी0 से कम है एवं इनमें से कुछ मार्ग के प्रारंभ बिन्दु एवं अंतिम बिन्दु बिहार राज्य में ही पड़ते हैं । करार प्रारूप में शामिल इन मार्गों में प0 बंगाल के मार्गांश की अंकित दूरी गलत अंकित है, जिसकी सम्पुष्टि की जानी चाहिए ।

– यह बिन्दु स्वीकार करने योग्य नहीं है, चूंकि प्रस्तावित करार प्रारूप में कोई नया मार्ग शामिल नही किया गया है । करार प्रारूप में शामिल सभी मार्ग वर्ष 1988 में बिहार एवं प0 बंगाल राज्यों के बीच हुए समझौता संबंधी अधिसूचना एवं वर्ष 2010 में दोनों राज्यों में हुए आपसी सहमति पत्र से लिए गये है । इस प्रकार आपत्ति का यह बिन्दु स्वीकार नही किया जाता है । करार प्रारूप मे उल्लिखित इन मार्गो की दूरी इस सम्पुष्टि पश्चिम बंगाल सरकार के प्राधिकार की सहमति से कर ली जाएगी, जिसका उल्लेख करार प्रारूप के कंडिका–1(च) में भी किया गया है।

11. आपत्ति के कुछ बिन्दु समझौता में कुछ नये मार्गो को शामिल करने, एवं करार प्रारूप में झारखंड राज्य के अन्तर्गत पड़ने वाले मार्गांश की दूरी को शामिल करने, करार प्रारूप में परमिट के निर्धारित कोटा को और अधिक बढ़ाये जाने एवं लंबी दूरी के मार्गो के भाया /ठहराव बिन्दु को बढ़ाये जाने से संबंधित हैं ।
– आपत्ति के ये बिन्दु स्वीकार करने योग्य नहीं हैं । क्योंकि प्रस्तावित करार प्रारूप में मात्र वैसे मार्गों को शामिल किया गया है, जो वर्ष 1988 में बिहार एवं प0 बंगाल राज्यों के बीच हुए समझौता संबंधी अधिसूचना एवं वर्ष 2010 में दोनों राज्यों की आपसी सहमति से संबंधित हैं । करार प्रारूप में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि इस समझौता/करार में समय–समय पर दोनों राज्यों मे से किसी एक राज्य के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए पूरक समझौता किया जा सकेगा । करार प्रारूप की कंडिका–1(थ) में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि 100 कि0मी0 अथवा उससे अधिक दूरी वाले मार्गों पर परिचालित बस सेवा एक्सप्रेस बस सेवा के रूप में परिचालित होंगी । अतएव लंबी दूरी वाले मार्ग के भाया/ठहराव बिन्दु बढ़ाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । इस प्रकार आपत्ति के ये बिन्दु स्वीकार नहीं किये जाते है ।

12. प्रस्तावित करार प्रारूप में शामिल कुछ मार्ग के भाया एवं अंकित दूरी में बदलाव / संशोधन किये जाने के संबंध में कुछ आपत्तियाँ उठायी गयी हैं, जो निम्नवत् हैं–

क्र0 सं0	करार प्रारूप की अनुसूची मे अंकित मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग में अंकित भाया / दूरी	प्रस्तावित संशोधन
1	5	पूर्णिया से कोलकाता	भाया– भागलपुर, पाकुड, बर्धमान	भाया–मालदा, फरक्का
2	13	सुलतानगंज से मालदा	भाया–दालकोला, कटिहार, रतुआ	भाया–कटिहार, रतुआ
3	19	खेसर से कोलकाता	भाया–औरंगाबाद, हजारीबाग, धनबाद, बर्धमान	भाया–बांका, कटोरिया, देवघर, दुमका, सिउरी, बर्धमान अथवा भाया– बांका, ढाकामोड, बौंसी, हंसडीहा, दुमका, सिउरी, बर्धमान
4	22	पटना से सिलीगुड़ी	बिहार–206 कि0मी0, प0बंगाल–288 कि0मी0	बिहार–355 कि0मी0, प0बंगाल–128 कि0मी0

5	28	कटिहार से रायगंज	बिहार–72 कि0मी0, प0बंगाल–148 कि0मी0	अंकित दूरी में संशोधन अपेक्षित है।
6	30	ठाकुरगंज से सिलीगुड़ी	बिहार–115 कि0मी0, प0बंगाल–48 कि0मी0	अंकित दूरी में संशोधन अपेक्षित है।
7	46	पूर्णिया से रायगंज	बिहार–25 कि0मी0, प0बंगाल–31कि0मी0	अंकित दूरी में संशोधन अपेक्षित है।
8	40	पटना से ठाकुरगंज	बिहार–219 कि0मी0, प0बंगाल–35कि0मी0	अंकित दूरी में संशोधन अपेक्षित है।
9	42	पूर्णिया से किशनगंज	बिहार–25 कि0मी0, प0बंगाल–17 कि0मी0	अंकित दूरी में संशोधन अपेक्षित है।
10	45	पूर्णिया से गलगलिया	बिहार–75 कि0मी0, प0बंगाल–20 कि0मी0	अंकित दूरी में संशोधन अपेक्षित है।

– उक्त प्राप्त आपत्ति के अनुरूप मार्ग के भाया एवं अंकित दूरी में अपेक्षित संशोधन पश्चिम बंगाल सरकार के प्राधिकार से सहमति प्राप्त कर प्रस्तावित करार प्रारूप के अंतिम रूप से प्रकाशन के पूर्व कर लिया जायेगा । इसका उल्लेख करार प्रारूप के कंडिका–1 (च) में भी किया गया है कि करार प्रारूप के अनुसूची में अंकित मार्ग की दूरी में कोई बिसंगति बाद में पाये जाने पर उसे शीध्र दोनों राज्यों के परिवहन प्राधिकारों के बीच पत्राचार के माध्यम से शुद्ध कर लिया जायेगा एवं यह करार के रूपांतरण के रूप में नहीं माना जायेगा ।

इस प्रकार बिहार एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों के बीच प्रस्तावित पारस्परिक परिवहन समझौता की बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 04/एस0टी0ए0–पी03– 71/2013– 2966 दिनांक 26.05.2014 के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों / सुझाव प्रस्तावों संबंधी प्राप्त सभी अभ्यावेदनों की सुनवाई दिनांक 02.07.2015 को करते हुए उन्हें निष्पादित किया जाता है ।

2.7.15

(सुजाता चतुर्वेदी)
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार सरकार, पटना ।

Date-02-07-2015

After a series of discussions with the Government of West Bengal considering the increased necessity of public transportation, it was felt that a fresh Reciprocal Transport Agreement between the States of Bihar and West Bengal was necessary. Accordingly, in accordance with Section-88(5) of the Motor Vehicles Act, 1988, a draft Agreement was published vide Notification No-04/STA-P3-71/2013-2966 dated 26.05.2014 of the Transport Department, Govt. of Bihar. The said Notification was published in the "Bihar Gazette Extraordinary" on May 26, 2014. In compliance with the provisions as laid down under section 88(5) of the said Act, Notice was published in the newspapers on 06.06.2014 inviting objections/ suggestions which was also uploaded along with the draft Agreement on the website of the Transport Department, Govt. of Bihar viz www.transport.bih.nic.in.

In the published notice it was mentioned that the objections/suggestions would be received upto 26.06.2014 and those would be taken up for consideration on 27.06.2014. Accordingly all the representations taken up and heard by the then State Transport Commissioner on 27.06.2014 but the order could not be issued due to transfer of the then State Transport Commissioner. Similarly once again the representations were taken up on 16.04.2015 and heard by the then State Transport Commissioner but again the order could not be issued due to transfer of the then State Transport Commissioner. It is also stated that a few fixed dates for hearing were extended on the request of the applicants and their Advocates also.

Finally a notice was uploaded on the said website of the Transport Department, Govt. of Bihar that those received objections/ suggestions would be taken up by the undersigned for hearing on 02.07.2015 at 2.30PM onwards. Accordingly, those representations are taken up for consideration today, i.e. on 02.07.2015.

Some of the representations were received before the date of issue of the Notification as well as before the date of publication of Notification in the official gazette. The Particulars of the said proposals/representations are as follows:-

1. Sri Mritunjay Sharan Thakur, D-3052 dated 24.04.2014
2. Sri Ashok Choudhary, D-3066 dated 25.04.2014

-The above mentioned representations are not taken up for consideration as in accordance with the provisions of Sections-88(5) of the Motor Vehicle

Act, 1988, such representations as received before the date of Notification and Notice therefore do not deserve consideration. Secondly, the above mentioned representations were submitted without going through the contents of the Draft Agreement. Thus those are disposed of without any consideration.

The following proposals/representations, which were received after the publication of Notification and Notice, are taken up for consideration:-

1.North Bengal Youth Co-operative Transport Society Ltd.,D-4751dt. 23.06.14
2.Naxalbari Himalyan Co-operative Transport Society Ltd.,D-4752dt. 23.06.14
3. Sri Ajit Mitruka, D-4450 dt. 23.06.14
4. Sri Ajay krishna Madhav D-4732dt. 24.06.14
5. Sri Satyen Sarat D-4731 dt. 24.06.14
6. Sri Leela Nand Singh D-4730 dt. 24.06.14
7. Sri Krishna Kant Prasad Singh D-4729 dt. 24.06.14
8. Sri Jay Shankar Prasad Singh D-4727dt. 24.06.14
9. Sri Vijay Kumar Jha D-4470 dt. 23.06.14
10. Sri Mani Bhushan Kumar D-4468 dt. 23.06.14
11. Sri Ram Manohar Pandey D-4466dt. 23.06.14
12. Sri Sohan Singh D-4245 dt. 18.06.14
13. Sri Chandra Bhushan Sharma D-4465 dt. 23.06.14
14. Bihar Motor Transport Federation D-4728 dt. 24.06.14
15. Sri Indrajeet Singh D-4817 dt. 26.06.14
16. Sri Harpal Singh D-4819 dt. 26.06.14
17. Sri Pritipal Singh D-4818dt. 26.06.14
18. Sri Naresh Murmu D-4792 dt. 25.06.14
19. Sri Akhtar Alam D-4793 dt. 25.06.14
20. Sri Vijay Kumar Jaiswal D-4788 dt. 25.06.14
21. Sri Rahul Samant D-4790 dt. 25.06.14
22. Sri Arshad Parvej D-4791 dt. 25.06.14
23. Sri DinaNath Jaiswal & Subhash Chandra D-4798 dt. 25.06.14
24. Sri Devendra Kumar Singh D-4822 dt. 26.06.14
25. Sri Himanshu Shekhar Singh D-4825 dt. 26.06.14
26. Sri Navin Shankar Thakur D-4824 dt. 26.06.14
27. Sri Pallav Shivshankaran D-6576 dt. 22.08.14
28. Sri Balanand Jha D-2948 dt. 06.05.15
29. Sri Uday Shankar Prasad Singh D-249 dt. 17.04.15
30. Sri Dhara Nath Jha D-4175 dt. 26.06.15

The contents of the above mentioned representations from sl. no 1 to 30 are taken up together for consideration. Learned Advocate Sri S.K.Sahay, Sri Randhir Singh, Sri S.K.Gupta, Sri Ajay Kumar Jha and Sri Tiwari represented most of the above mentioned applicants during hearing against their representations. The following points raised by the Advocates and mentioned in the said representations are taken up one after another as follows:-

(a). It is stated that the vacancies/permissible number of permits mentioned in the earlier agreement executed between the States of Bihar and West Bengal in the year 1988 and mutual concurrence arrived at in 2010, are yet to be filled up in full and therefore no new agreement is required.

- This ground is superfluous as existence of vacancies in one earlier Agreement cannot be considered as a barrier for executing a fresh agreement. It has also been experienced that Transport Authority had to disallow many applications for permit on the inter State routes between Bihar and West Bengal for want of vacancy on the basis of the earlier Agreement. Therefore this ground is not accepted.

(b). The Second point raised in the said representation is that some routes overlap each other on a major length/part of the routes.

- This ground is also not acceptable as no new route has been incorporated in the Draft Agreement. The incorporated routes existed in the earlier agreement executed in 1988 and in the mutual concurrence arrived at in 2010. Thus, this point is also not accepted.

(c). The third point raised in the said representation is that the number of buses calculated to ply as per the agreement published in draft would be difficult to park in the thickly populated and congested city/bus terminal of Silliguri without any traffic survey or inspection of the routes.

- This point is not accepted because it cannot be taken that all the buses having one of the terminuses at Silliguri folk together at a time. Accordingly this objection is not accepted in the light of the provisions laid down in Section-70, 71 and 72 of M.V.Act, 1988.

(d). The forth point stated that enhancement of permissible number of permits/number of buses, as laid down in the draft agreement, would create unhealthy competition during operation with close time tables.

- In accordance with the existing provisions as laid down in sections 70, 71& 72 of the Motor Vehicle Act 1988, this ground is not accepted.

(e). One point has been raised that clause A (xi) of the Draft Agreement is contrary to Section 86 of Motor Vehicles Act 1988.

- This point is not acceptable as the said clause A(xi) of the Draft Agreement is regarding surrender of the permit where the permit holder desires to discontinue with the service where as Section 86 of the Motor Vehicles Act 1988 is relating to cancellation/suspension of a permit.

(f). One point has been raised that most of the routes incorporated in the Draft Agreement pass through Jharkhand, that state should be a party in the Agreement.

- In this connection, it is stated that the Transport Department, Government of Bihar has already been informed by the Transport Department, Govt. of West Bengal vide letter no. 151-STD/2014 dt. 27.10.14 that Govt. of West Bengal has already got concurrence of state of Jharkhand vide letter no 688 dt.29.09.2014 with the condition that the routes incorporated in the said Agreement traversing through the state of Jharkhand whether exceeds a distance of 16 KM, the related permit is to be got countersigned by the State of Jharkhand. It has also been mentioned in clause A (xiv) of Draft Agreement. Thus this point is not accepted.

(g). One point mentioned in the representation regarding non-finalization of a Draft Agreement, which was made in 1994-95 between the State of Bihar and West Bengal and non-compliance of the provisions of Section 88(5)&88(6) of the Motor Vehicles Act 1988 by the Authority.

- This issue is not acceptable as in the present Draft Agreement it has been clearly mentioned that after final publication of this Agreement it would supersede all earlier Reciprocal Transport Agreements between Bihar and West Bengal. Secondly no provision of Section 88(5) and 88(6) of the Motor Vehicles Act, 1988 has been violated.

(h). One point raised that route no 19 of the Annexure of the Draft Agreement published in Bihar Gazette has been wrongly mentioned Phesar to Kolkata which should be Khesar to Kolkata according to the sl no-21 of the mutual concurrence of both the state arrived at in 2010 vide letter no 1577 dt. 31.03.2010 and as mentioned in route no-19of Draft Agreement published in the Kolkata Gazette as Kolkata to Khesar. Via of the said route Khesar to Kolkata is also wrongly mentioned which should be via Banka, Katoria, Deoghar, Dumka, Seuri, Burdwan or Banka, Dhaka more, Bounsi, Hansdiha, Dumka, Seursi, Burdwan.

- This point is acceptable. The route in question will be corrected as Khesar to Kolkata and via of the route will be decided in consultation with the authorities of the State of West Bengal before finalization of Agreement.

(i). One point has been raised that in clause A(ix) it is mentioned that where the total distance of the route is 200 KM or more, two vehicles can be allowed under a single permit subject to the condition that the permit holder shall pay double the scheduled permit fee as applicable in the permit issuing State. This condition is contrary to section 2(31) of the Act. In this context this point has also been raised that this distance limit of 200 KM for single permit against two vehicles should be 250KM.

-This issue will be discussed and decided after consultation with the authorities of the State of West Bengal before finalization of Agreement.

(j). One point has been raised that some of the routes as route no 39, 40, 42, 43, 44, 45 of the Annexure of the notification of Draft Agreement should not be incorporated in the proposed Agreement and permit on these routes should be issued only by STA, Bihar as the distance of West Bengal is less than 16 KM and originating and terminating points of these routes fall in the State of Bihar. Distance of West Bengal on those routes should be rectified which is wrongly mentioned in the Draft Agreement.

- This issue is not acceptable as no new route has been incorporated in the Draft Agreement. The incorporated routes existed in the earlier agreement executed in 1988 and in the mutual concurrence arrived at in 2010. Thus this point is also not accepted. The distance of those routes mentioned in the Draft Agreement will be rectified in consultation with the authorities of the State of West Bengal which is also mentioned in clause A(vi) of the Draft Agreement.

(k). A few points have also been raised and mentioned in the representation regarding incorporation of some new routes and distance of the routes within the State of Jharkhand in the proposed Agreement, enhancement of the permissible limits of permits mentioned in the Draft Agreement and enhancements of via points on some routes of long distance .

- It is not acceptable as only those routes have been incorporated in the Draft Agreement which existed in the earlier agreement executed in 1988 and in the mutual concurrence arrived at in 2010. In Draft Agreement it is also clearly mentioned that this agreement shall be subject to periodical revision at the instance of either State by way of supplementary agreements, which is also mentioned in clause A(vi) of the Draft Agreement. It is clearly mentioned in the

clause A(xvii) that the bus services operating on the route which are 100 KM or more shall operate as Express Bus Service, so the question of enhancement of via point on some routes of long distance do not arise. Thus these points are not accepted.

(l). A few points have been raised that few routes require change of alignment and rectification of total route distances, which are as follows:-

Sl. no	Route no. in the Draft Agreement	Route	Alignment/Total length shown in the Draft Agreement	Proposed rectification
1	5	Purnea to Kolkata	via- Bhagalpur, Pakur, Burdwan	via- Malda, Farakka
2	13	Sultanganj to Malda	via- Dalkola, Katihar, Ratua	via- Katihar, Ratua
3	19	Khesar to Kolkata	via- Aurangabad, Hazaribagh, Dhanbad, Burdwan	via- Banka, Katoria, Deoghar, Dumka, Seuri, Burdwan or Banka, Dhaka More, Bounsi, Hansdiha, Dumka, Seuri, Burdwan
4	22	Patna to Silliguri	Bihar-206 KM W.Bengal-288 KM	Bihar-355 KM W.Bengal-128 KM
5	28	Katihar to Raiganj	Bihar-72 KM W.Bengal-148 KM	The distance should be rectified.
6	30	Thakurganj to Silliguri	Bihar-115 KM W.Bengal-48 KM	The distance should be rectified.
7	46	Purnea to Raiganj	Bihar-25 KM W.Bengal-31 KM	The distance should be rectified.
8	40	Patna to Thakurganj	Bihar-219 KM W.Bengal-35 KM	The distance should be rectified.
9	42	Purnea to Kishanganj	Bihar-25 KM W.Bengal-17 KM	The distance should be rectified.
10	45	Purnea to Galgaliya	Bihar-75 KM W.Bengal-20 KM	The distance should be rectified.

-This will be decided in consultation with the authorities of the State of West Bengal before finalization of the Agreement. It is also mentioned in the clause A(vi) of the Draft Agreement that any discrepancy discovered later in the distance shown in the said Annexure shall be promptly corrected through correspondences between the two State Transport Authorities and this shall not be treated as modification of this Agreement.

Thus all the proposals/representations received in connection with the Draft Reciprocal Transport Agreement between the States of Bihar and West Bengal published in the Bihar Gazette Extraordinary vide Notification No-04/STA-P3- 71/ 2013-2966 dated 26.05.2014 are considered and disposed of.

(Sujata Chaturvedi)
State Transport Comissioner
Govt. of Bihar, Patna.